उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-22/1510/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 29 दिसम्बर, 2020

# अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 219 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 67 के अधीन यथा विहित रूप में सहायक कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 11 फरवरी, 2016 से तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) को प्राधिकृत करती हैं।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

**संख्या व दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.22/1510/Ek-1-2020-R-1, dated 29 December, 2020:

**Notification**

No.22/1510 /Ek-1-2020-R-1
Lucknow: Dated 29 December, 2020

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 14 and section 219 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no.8 of 2012), the Governor is pleased to authorize Tahsildar and Tahsildar (Judicial) to discharge the acts of Assistant Collector as prescribed under section 67 of the said Act, with effect from 11 February, 2016.

By order,
Renuka Kumar
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।